

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय—न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थी


बृजमोहन

बनाम

केशव सराफ व अन्य

केस संख्या 98/25 (2025/261

) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.06.2025	<p>प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी प्रार्थी के सम्बन्ध में कैवियट प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः कैवियटकर्ता को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर कैवियट /अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस जारी हो। पत्रावली 16/06/2025 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बस्सी </p> <p>पत्रावली पेश हुई। कुलाय द्वारा कन्वलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18.6.25 को पेश हो गई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. वीरे/कार्य में खरब रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 20.6.25 को पेश हो गई।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित के बिना वकील अप्रार्थी से 2 वी वकील की बुद्धीय शक्ति उपस्थित। अज्ञात पर कहर हुआ। पत्रावली वान्ति अड्डेश उमेश 23.6.25 को पेश हो गई।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर </p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. वीरे/कार्य में खरब रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 24.6.25 को पेश हो गई।</p>	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

प्रजमोहन बनाम केशव

कारण संख्या

86/25

(2025/262)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/7/25	<p>पत्रावली पेश। वकील पत्रावली पेश। अपार्थी 8-2 के जवाब व लालिब व दस्तावेज दिनांक 21/7/25 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	
21/7/25		<p>पत्रावली पेश हुई। कानून के अन्तर्गत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती। पत्रावली दिनांक 29/7/25 को पेश होये।</p>	
29/08/25		<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित मूलवाद में राजीनामा पेश होने से पत्रावली T.O. मूलवाद के साथ दिनांक 30/08/2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	
30/8/25		<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित प्रार्थना पत्र T.O. से सम्बन्धित मूलवाद का राजीनामा के आधार पर निस्कारण हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र T.O. को धागे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र T.O. को इसी स्तर पर खारिज किया जा रहा है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर</p>	